दिनांक–26.09.2013 को विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता, राँची प्रक्षेत्राधीन योजनाओं की समीक्षा हेतु सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

(1) सुकरी जलाशय योजना (टर्न–की)   (जिला – लोहरदगा, प्रखण्ड – किस्कू)

संवेदक – पालू कन्सट्रक्शनस

- प्रशासनिक स्वीकृति– रू0 935.00 लाख है।
- वर्ष 2012–13 तक व्यय– रू0 522.007 लाख
- वर्ष 2013–14 में आवंटन– रू0 194.35 लाख
- अगस्त 2013 तक व्यय– रू0 35.66 लाख
- सिंचाई क्षमता – 400.00 हे0

कार्य की प्रगति –	निदेश–
(i) वर्त्तमान में अभी तक हेडवर्क में 65% कार्य हुआ है। River Closure नहीं हुआ है। हेडवर्क्स का भू–अर्जन कार्य हो गया है। (ii) मुख्य नहर की लम्बाई साढ़े छः कि0मी0, जिसका भू–अर्जन का कार्य अन्तिम चरण में है। योजना में वितरणी नहीं है, केवल उप वितरणी (Minors) का निर्माण किया जाना है। (iii) मुख्य अभियंता, राँची द्वारा बताया गया कि योजना का कार्य 31 मार्च 2014 तक पूर्ण होने की संभावना है।	(i) योजना का कार्य मार्च 2014 तक हर प्रकार से पूर्ण कराया जाय। (ii) योजना पूर्ण कराकर इसके लिये CAD की कार्रवाई की जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची)**

(2) काँटी जलाशय योजना (टर्न–की)   (जिला – खूँटी , प्रखण्ड – कर्रा)

संवेदक – त्रिवेणी इन्जिकॉन प्राईवेट लिमिटेड, जमशेदपुर

- प्रशासनिक स्वीकृति– रू0 11316.528 लाख
- वर्ष 2012–13 तक व्यय– रू0 0.46 लाख

इस योजना में डैम, स्पीलवे, आउटलेट एवं नहर का निर्माण टर्न–की पर किया जाना था। जन विरोध के कारण यह योजना बन्द की जा चुकी है। भुगतान के संबंध में संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया है।	**निदेश–** (i) डा० डी०के० सिंह, अधीक्षण अभियंता, योजना रूपांकण एवं आयोजन, अंचल, रांची की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति गठित की जाय जो मामले के निष्पादन हेतु अपनी अनुशंसा एक सप्ताह में मुख्य अभियंता, रांची के माध्यम से विभाग को देगी। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, (मो0) जल संसाधन विभाग, राँची**

(3) राढ़ू जलाशय योजना (जिला– राँची, प्रखण्ड– सिल्ली)

Consultant – Aarvee Consultant, Hyderabad

कार्य का नाम – राढ़ू जलाशय योजना का विस्तृत सर्वेक्षणोपरांत डी0पी0आर0 तैयार करने का कार्य।

यह एक नई प्रस्तावित योजना है जिसका सर्वे करा कर डी0पीआर0 कन्सलटेन्ट द्वारा तैयार किया गया है।

- प्रशासनिक स्वीकृति– रू0 145.00 लाख है।
- वर्ष 2012–13 तक व्यय– रू0 78.74 लाख
- वर्ष 2013–14 में आवंटन– रू0 0.00 लाख
- अगस्त 2013 तक व्यय– रू0 0.00 लाख

(i) अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, रांची द्वारा बताया गया कि GSI कोलकाता द्वारा Site Inspection किया गया है। DPR के Hydrology में सुधार कर CDO को जांच हेतु समर्पित किया गया है। CDO से अनुमोदन के पश्चात् सी0डब्लू0सी0, नई दिल्ली को 31 अक्टूबर 2013 तक डी0पी0आर0 उपलब्ध करा दी जायेगी। (ii) वनभूमि अपयोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।	**निदेश** – (i) C.D.O. राँची Design-Drawing पर अपने Comments इस महीने के अन्दर C.W.C. New Delhi को भेज दें। (ii) वनभूमि अपयोजन हेतु गुमला जिले में चिन्हित गैर मजरूआ भूमि के Land Bank से क्षतिपूरक गैर वनभूमि उपलब्ध करायी जाय। कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, गुमला संबंधित डी. एफ.ओ. से श्री कुमार आशुतोष से बराबर सम्पर्क में रहेंगे तथा आगे की कार्रवाई करेंगे। (iii) योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई के समय योजना के Funding के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची / कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्र0, गुमला)**

(4) कीता सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन कार्य (जिला– राँची, प्रखण्ड– सिल्ली)

- संवेदक – अवधेश सिंह कन्सट्रक्सन
- प्रशासनिक स्वीकृति– रू0 264.98 लाख है। (19.11.2010)
- वर्ष 2012–13 तक व्यय– रू0 48.78 लाख
- वर्ष 2013–14 में आवंटन– रू0 136.00 लाख
- अगस्त तक व्यय– रू0 31.22 लाख
- योजना की सिंचाई क्षमता – 220 हे0

कार्य की प्रगति – इस योजना में मुख्यतः मुख्य नहर के लाईनिंग का कार्य कराना है। अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल रांची द्वारा बताया गया कि कार्य की प्रगति में तेजी आई है तथा कार्य में और तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले अप्रील से जून माह तक 45% कार्य हुआ है। मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि दिसम्बर 2013 तक कार्य पूरा करा लिया जायेगा।	**निदेश** – (i) मुख्य अभियंता, राँची द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्य की शतप्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की जाय इसके लिए Time bound कार्यक्रम तैयार किया जाय। कार्य की quality पर भी ध्यान दिया जाय एवं नियमानुसार गुणवत्ता की जांच कराई जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्र०, राँची)**

(5) नन्दनी जलाशय योजना – **(जिला– लोहरदगा, प्रखण्ड– भन्डरा)**

- कार्य – चेन 92.00 पर क्षतिग्रस्त एक्वाडक्ड का जिर्णोद्धार कार्य
- प्रशासनिक स्वीकृति– रू0 57.019 लाख है। (मार्च 2012)
- वर्ष 2012–13 तक व्यय– रू0 39.43 लाख
- वर्ष 2013–14 में आवंटन– रू0 18.102 लाख
- वर्ष 2013–14 में व्यय– रू० 5.00 लाख
- योजना की सिंचाई क्षमता – 3250.00 हेक्टेयर

मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि (i) चेन 92.00 पर संरचना कार्य पूरा हो गया है। चेन 32.00 पर एक्वाडक्ट क्षतिग्रस्त है। वहाँ से आगे पानी ले जाने हेतु अस्थाई कार्य कराया जाना है, वह अभी तक नहीं कराया गया है। जलाशय में पानी भरा हुआ है, परन्तु इस वर्ष हेतु निर्धारित 1500 हेक्टेयर की सिंचाई लक्ष्य के विरूद्ध 500–600 हेक्टेयर में ही सिंचाई हो रही है।	**निदेश**– (i) लक्ष्य के अनुसार योजना से सिंचाई नहीं हो रही है इसके लिए कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण पूछा जाय। सिंचाई की शेष अवधि में लक्ष्य प्राप्ति हेतु पूरा प्रयास किया जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची /अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, राँची)**

(6) पारस जलाशय योजना – **(जिला गुमला प्रखण्ड – भरनो)**

- सिंचाई क्षमता – 3400.00 हेक्टेयर

(i) सर्वे कार्य कराकर प्रमण्डल द्वारा इस योजना के पुनर्स्थापन कार्य का प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विभाग को प्राप्त है। (ii) अधीक्षण अभियंता, जलपथ, अंचल, राँची	**निदेश**– (i) पुनर्स्थापन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई शीघ्र की जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, मोनिटरिंग)**

द्वारा बताया गया कि Tail end तक पानी चला गया है तथा 2000 हेक्टेयर सिंचाई लक्ष्य के विरूद्ध 1760 हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है।	

(7) बुचा ओपा जलाशय योजना – (जिला – लोहरदगा प्रखण्ड – चान्हो)

- सिंचाई क्षमता – 775 हे0

योजना के पुनर्स्थापन कार्य का प्राक्कलन तैयार हो गया है। मुख्य अभियंता, राँची द्वारा प्राक्कलन 30.092013 तक विभाग को समर्पित कर दिया जायेगा।	**निदेश**– (i) पुनर्स्थापन कार्य का प्राक्कलन प्राप्त होते ही इसकी प्रशासनिक स्वीकृति की कारवाई शीघ्र की जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज० सं० वि०, राँची/मुख्य अभियंता, (मो०)**

(8) धुर्वा कॉलोनी का मरम्मति कार्य एवं बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कार्य –

- प्रशासनिक स्वीकृति की राशि – रू0 56.00 लाख
- वर्ष 2012–13 तक व्यय– शून्य
- वर्ष 2013–14 में आवंटन – रू० 30.00 लाख
- अगस्त 2013 तक व्यय– शून्य

(i) कार्य प्रगति में है।	**निदेश** – कार्य शीघ्र पूर्ण करा कर विभाग को सूचित किया जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची)**

(9) काँची वीयर शीर्ष का पुनर्निर्माण कार्य (जिला – खूँटी, प्रखण्ड – अड़की)

- संवेदक – मेगोटिया कन्सट्रक्सन प्रा०लि०, जमशेदपुर
- प्रशासनिक स्वीकृति– रू0 909.62 लाख है। (10.07.2009)
- वर्ष 2012–13 तक व्यय– रू0 857.24 लाख
- वर्ष 2013–14 में आवंटन– रू0 118.06 लाख
- वर्ष 2013–14 में व्यय– रू0 37.95 लाख
- सिंचाई क्षमता – 16000 हे0

(i) मुख्य अभियंता, राँची द्वारा बताया गया कि वीयर पुनर्निमार्ण का कार्य मार्च 2014 तक हर प्रकार से पूर्ण करा लिया जायेगा (ii) योजना से सिंचाई हो रही है। 12000 हे० के लक्ष्य के विरूद्ध 12500 हे० में सिंचाई दी जा चुकी है।	**निदेश** – (i) कार्य को हर हालत में मार्च 2014 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय। (ii) खरीफ 2013 में इस योजना से वर्त्तमान सिंचाई 12500 हे० को बढाने हेतु प्रयास करने का निदेश दिया गया। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज० सं० वि०, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्र०, बुण्डू)**

(10) काँची मुख्य नहर का Lining सहित पुनर्स्थापन कार्य

- संवेदक – हारविन्स कन्सट्रक्सन प्रा०लि, हैदराबाद
- निविदित राशि – रू० 3712.665 लाख
- प्रशासनिक स्वीकृति– रू0 4019.95 लाख है।
- वर्ष 2012–13 तक व्यय– रू0 0.00 लाख
- वर्ष 2013–14 में आवंटन– रू0 700.00 लाख
- अगस्त 2014 तक व्यय– रू0 513.27 लाख

(i) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची द्वारा बताया गया कि 22.04.2013 को एकरारनामा कर लिया गया है। संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। मुख्य नहर की पूरी लम्बाई 18.40 कि०मी० में लाईनिंग का कार्य किया जाना है। लगभग 5 से 10 प्रतिशत तक Lining कार्य में प्रगति हुई है। (ii) कार्य पूर्ण करने की एकरारित अवधि 30 (तीस) महीना है।	**निदेश –** (i) कार्य को निर्धारित अवधि से कम समय में पूरा करने का प्रयास किया जाय। संवेदक के साथ बैठक कर कार्य को Schedule से पहले पूरा करने का कार्यक्रम तैयार किया जाय। कार्य के quality की भी नियमानुसार जांच की जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज० सं० वि०, राँची)**

(11) सुरंगी जलाशय योजना (जिला – राँची, प्रखण्ड – तमाड़)

- प्रशासनिक स्वीकृति– रू0 4117.30 लाख है। (18.01.2001)
- वर्ष 2013–14 तक व्यय– रू0 4466.082 लाख
- वर्ष 2013–14 में आवंटन– रू० 12.00 लाख
- अगस्त 2013 तक व्यय– रू० 0.20 लाख
- सिंचाई क्षमता – 2600 हेक्टेयर

(i) आउटलेट गेट मरम्मति का कार्य करा दिया गया है। Leakage लगभग बंद हो गया है। (ii) मुख्य अभियंता, राँची द्वारा बताया गया कि NH के Widening के कारण योजना के नहरों को NH जहाँ–जहाँ Cross करती है, वहाँ संरचना का निर्माण NHAI के द्वारा कराया जायेगा। योजना से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। (iii) गुमला के land Bank से योजना हेतु चिन्हित क्षतिपूरक गैर वन भूमि का सत्यापन अंचलाधिकारी, सिसई प्रखण्ड द्वारा कर लिया गया है तथा NOC हेतु प्रस्ताव अपर–समाहर्त्ता के यहा समर्पित किया गया है।	**निदेश –** (i) योजनान्तर्गत वनभूमि के Stage-II Clearance के लिए Stage-I Clearance की सभी शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन तुरन्त संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी को भेजा जाय। (ii) मुख्य अभियंता अपने स्तर से मोनिटरिंग करेंगे। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज० सं० वि०, राँची)**

(12) रैसा जलाशय योजना (जिला – राँची, प्रखण्ड – बुण्डू)

- संवेदक – विजेता इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड, मोराबादी, राँची (शीर्ष कार्य)
- प्रशासनिक स्वीकृति– रू0 6778.42 लाख है। (10.07.2009)
- वर्ष 2012–13 तक व्यय– रू0 4116.29 लाख
- वर्ष 2013–14 में आवंटन– रू0 800.50 लाख
- अगस्त 2014 तक व्यय– रू० 113.91 लाख
- सिंचाई क्षमता – 3140 हे0

कार्य की प्रगति

(i) मिट्टी बाँध का निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्पिलवे Right Abutment का कार्य प्रगति पर है। (ii) योजना के डूब क्षेत्र में 447 एकड़ मुंडारी खूँटकट्टी जमीन के बारे में मुख्य अभियंता, राँची द्वारा बताया गया कि डूब क्षेत्र में तथाकथित वनभूमि पर रैयतों का दावा है एवं Lower Court से उनके पक्ष में फैसला दिया गया है, जिसके विरूद्ध वन विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया है। (iii) संबंधित विषय पर भू–राजस्व विभाग से परामर्श प्राप्त किया जा रहा है। (iv) मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि बाँयीं मुख्य नहर का I.R स्वीकृत कर दिया गया है। दाँयीं मुख्य नहर के सर्वेक्षण कार्य की प्रगति धीमी है क्योंकि संवेदक के भुगतान हेतु आवंटन नहीं उपलब्ध है।	**निदेश** – (i) विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, राँची भू–राजस्व विभाग में विशेष सचिव से सम्पर्क कर उन्हें स्थिति स्पष्ट करें। साथ हीं भू–अर्जन की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाय। (ii) Planning Commission, भारत सरकार से योजना हेतु time extension प्रदान कर दिया गया है। इस आलोक में योजना के AIBP के अन्तर्गत funding के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाय। (iii) CWC, Patna से डा० डी० के० सिंह, अधीक्षण अभियंता सम्पर्क कर लें तथा CWC को भेजे गए अनुपालन के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए funding के लिए उनकी अनुशंसा प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय। (iv) मुख्य नहरों का सर्वे कार्य पूरा करते हुए इसके I.R. की स्वीकृति अविलम्ब की जाय एवं तदनुसार भू–अर्जन प्लान समर्पित किया जाय। मुख्य अभियंता द्वारा इसकी सतत मोनिटरिंग की जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज० सं० वि०, राँची / अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची / कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्र०, बुण्डू)**

(13) काँची सिंचाई योजना में CAD का कार्य –

- वर्ष 2013–14 में आवंटन – रू० 0.00 लाख
- वर्ष 2012–13 में व्यय – रू० 0.00 लाख
- एकरारनामा की राशि – रू० 158.00 लाख

➢ वर्ष 2013–14 में आवंटन– रू० 0.00 लाख

(i) WAPCOS द्वारा इस कार्य का डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है। अधीक्षण अभियंता, डा0 डी0के0 सिंह द्वारा बताया गया कि WAPCOS के साथ वे बराबर सम्पर्क में हैं। 75–80% Command Survey हो गया है। इसका Verification भी किया जा रहा है। 30 अक्टूबर 2013 तक WAPCOS द्वारा DPR Submit कर दिया जायेगा। (ii) 19 WUA का गठन कर लिया गया है, जिसमें से 12 WUA के Registration का प्रस्ताव समर्पित कर दिया गया है।	**निदेश** – (i) मुख्य अभियंता, राँची यह Monitoring करें कि WAPCOS से 30.10.2013 तक DPR प्राप्त हो जाय तथा उसके तकनीकी अनुमोदन के पश्चात् 15 नवम्बर 2013 तक प्रशासनिक स्वीकृति एवं निविदा की कार्रवाई की जाय। केन्द्र सरकार से Funding प्राप्त करने हेतु Phasing & Planning के साथ Centre को प्रस्ताव भेजा जाय तथा MOU की कार्रवाई की जाय। निविदा की कार्रवाई समानान्तर रूप से की जाय। सभी कार्रवाई नवम्बर 2013 में पूरी की जाय। (ii) ये सभी कार्रवाई मयुराक्षी नहर योजना के लिये भी उक्त Schedule के अनुसार की जाय। इसके लिये अभियंता प्रमुख–I द्वारा अलग से बैठक कर Review किया जाय। (iii) काँची CAD के लिये राशि विमुक्त करने की कार्रवाई की जाय। (iv) कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डू Water User Association के formation एवं registration हेतु आगे की कार्रवाई करेंगे। **(कार्रवाईः मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०,राँची / अधीक्षण अभियंता, डॉ डी०के०सिंह / कार्य० अभि०, सिं० प्र०, बुण्डू)**

<u>(14) कोकरो सिंचाई योजना (लाईनिंग) (जिला – राँची , प्रखण्ड –सोनाहातु)</u>

➢ प्रशासनिक स्वीकृति – रू0 1102.868 लाख है। (22.01.2011)
➢ एकरारनामा की राशि – 1293.69 लाख
➢ वर्ष 2012–13 तक व्यय – रू0 159.97 लाख
➢ वर्ष 2013–14 में आवंटन – रू0 500.00 लाख
➢ अगस्त 2014 तक व्यय – रू० 169.38 लाख
➢ सिंचाई क्षमता – 3490 हे०, FSD –4 फीट, Discharge – 110 क्यूसेक
➢ कार्य पूर्ण करने की एकरारित तिथि – 31.03.2013

कार्य की प्रगति –

(i) योजना में मुख्यतः मुख्य नहर के लाईनिंग का कार्य है। बताया गया कि कुल 16.40 कि०मी० के लाईनिंग कार्य में से अब तक मात्र लगभग 40% का	**निदेश** : (i) सिंचाई लक्ष्य की प्रति सुनिश्चित की जाय।

कार्य कराया गया है। संवेदक द्वारा कार्य को जून 2014 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम दिया गया है, परन्तु कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है। (ii) सिंचाई हेतु नहर में पानी release किया गया है। 3110 हे0 में सिंचाई हुआ है। सिंचाई लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जायेगी।	(ii) मुख्य अभियंता संवेदक से बैठक कर वार्षिक प्रगति हेतु कार्यवाही करे। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्र०, बुण्डू)**

(15) तजना जलाशय योजना (टर्न–की) (जिला – खूँटी, प्रखण्ड–खूँटी)

- प्रशासनिक स्वीकृति – रू0 7441.76 लाख है। (22.02.2008)
- वर्ष 2012–13 तक व्यय – रू0 500.23 लाख (भू–अर्जन कार्य में)
- वर्ष 2013–14 में आवंटन – रू० 0.00
- अगस्त 2013 तक व्यय – रू० 0.00
- सिंचाई क्षमता – 5600 हे0

कार्य की प्रगति –	**निदेश –**
(i) भू–अर्जन का प्रस्ताव विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी को समर्पित है। (ii) भू–अर्जन हेतु मापी कार्य सम्पन्न हो गया है। अक्टूबर 2013 में PESA के अर्न्तगत ग्राम सभा की बैठक बुलायी गयी है।	(i) ग्राम सभा की बैठक के पश्चात् विभाग को उसके फलाफल से अवगत कराया जाय। **(कार्रवाई : कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्र0, खूँटी / विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, राँची)।**

(16) लतरातु जलाशय योजना का ERM कार्य (जिला – खूँटी, प्रखण्ड– कर्रा, लापुंग)

(i) सर्वे कार्य हो गया है। प्राक्कलन तैयार किया गया है। Hydrology की जाँच की जा रही है। 30 सितम्बर तक विभाग को डी०पी०आर० समर्पित कर दिया जायेगा। सिंचाई क्षमता – खरीफ – 5254 हे0	**निदेश** – (i) ERM के तहत केन्द्र से Funding हेतु प्रस्ताव CWC को शीघ्र भेजा जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची / मु0अ0(मो0)**

(17) अपरशंख जलाशय योजना (जिला – गुमला, प्रखण्ड – चैनपुर)

- प्रशासनिक स्वीकृति – रू० 14119.00 लाख है। (30.03.2007)
- वर्ष 2012–13 तक व्यय – रू० 13774.13 लाख
- वर्ष 2013–14 में आवंटन – रू० 343.15 लाख
- अगस्त 2014 तक व्यय – रू० 63.72 लाख
- योजना को वर्ष 2013–14 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

➢ **<u>सिंचाई क्षमता</u>**

बाँयीं मुख्य नहर (LMC) – 4500 हे0

दाँयीं मुख्य नहर (RMC) – 2790 हे0

कार्य की प्रगति –	निदेश –
(i) आउटलेट गेट से पानी का रिसाव हो रहा है। गेटों का मरम्मति कराकर इसके सुचारू रूप से संचालन हेतु आमंत्रित E.o.I. दिनांक 23.09.2013 को प्राप्त हो गया है। (ii) बाँयीं मुख्य नहर के 0.00 चेन पर साइफन के Joint से लिकेज हो रहा है। मरम्मति का कार्य अभी तक ठीक से नहीं कराया जा सका है। Syphon में silt जमा होने तथा leakage के कारण नहर में पानी नहीं जा रहा है Syphon leakage ठीक कराने हेतु कार्यपालक अभियंता द्वारा प्राक्कलन submit किया गया है। Leakage के पानी से लगभग 200 हे0 में सिंचाई हुई है। (iii) दोनों मुख्य नहर से निःसृत 9 वितरणियों से भू–अर्जन का कार्य भुगतान की स्थिति में है। (iv) शेष 4 वितरणियों की भू–अर्जन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। (v) RMC का Estimate स्वीकृत कर दिया गया है। दिनांक 01.10.2013 तक निविदा निकाली जायेगी।	(i) E.o.I. का Technical Bid विभाग को 01.10.2013 तक भेजा जाय। (ii) मुख्य अभियंता, राँची, अधीक्षण अभियंता, डा0 डी0के0सिंह, अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गुमला, कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्र0 सं0–1, चैनपुर site visit कर अविलम्ब तकनीकी सुझाव दे तथा तदनुसार 15 नवम्बर तक प्राक्कलन स्वीकृत कर तुरन्त कार्य कराया जाय ताकि रब्बी में सिंचाई सुनिश्चित की जा सके। रब्बी में सिंचाई नहीं होने पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। समिति द्वारा Short term measure तथा long term solution पर भी अपना परामर्श दिया जाय। (iii) अपरशंख जलाशय योजना में शामिल शेष वन भूमि अपयोजन के लिए क्षतिपूरक गैर वनभूमि (10 हे०) हेतु गुमला में चिन्हित लैंड बैंक में से प्रस्ताव दिया जाय। DFO से व्यक्तिगत रूप से मिलकर शेष वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव तैयार किया जाय। (iv) निर्धारित सिंचाई लक्ष्य के लिये मुख्य अभियंता Work Plan तैयार करेंगे और Schedule के अनुसार कार्य पूर्ण करायेंगे। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज० सं० वि०, राँची / अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गुमला)**

<u>(18) खतवा वीयर योजना का पुनर्स्थापन कार्य (जिला – गुमला, प्रखण्ड – गुमला)</u>

➢ प्रशासनिक स्वीकृति – रू० 60.44 लाख है।

➢ वर्ष 2012–13 तक व्यय – रू० 43.65 लाख

➢ वर्ष 2013–14 में उपलब्ध आवंटन – रू० 3.25 लाख

➢ अगस्त 2013 तक व्यय – रू० 0.00 लाख

➢ सिंचाई क्षमता – 300 हेक्टेयर

योजना से सिंचाई दी जा रही है। 300 हे0 लक्ष्य के विरूद्ध 230 हे0 में सिंचाई दी गयी है क्योंकि कमाण्ड क्षेत्र में ग्रामिणों के बस जाने के कारण कमाण्ड क्षेत्र में कमी आयी है।	**निदेश –** (i) योजना से अधिकतम संभव सिंचाई उपलब्ध करायी जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज० सं० वि०, राँची)**

(19) रामरेखा जलाशय योजना (जिला –सिमडेगा, प्रखण्ड –सिमडेगा)

- प्रशासनिक स्वीकृति – रू० 5386.87 लाख (12.03.2003)
- वर्ष 2012–13 तक व्यय – रू० 5001.75 लाख
- वर्ष 2013–14 में उपलब्ध आवंटन – रू० 131.50 लाख
- अगस्त 2013 तक व्यय – रू० 0.00 लाख
- कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य – वर्ष 2013–14
- सिंचाई क्षमता – 4000 हे०

कार्य की प्रगति –	**निदेश –**
(i) शीर्ष कार्य पूर्ण है। बाँयीं मुख्य नहर का कार्य पूर्ण है। दाँयीं मुख्य नहर (642 चेन) में 221 चेन तक कार्य पूर्ण है 89 से संरचना का निर्माण कराना है, जिसमें 34 outlet है। इससे 6 कि0मी0 तक सिंचाई दी जा सकेगी। दोनों मुख्य नहरों का भू–अर्जन हो गया है तथा Possession दे दिया गया है। (ii) बाँयीं मुख्य नहर के दोनों वितरणी का IR स्वीकृत है। दाँयीं मुख्य नहर के चार वितरणी में से 3 वितरणी का IR स्वीकृत है। इसमें धारा–4 हेतु मापी की जा रही है। शेष एक वितरणी लोहार टोली में विवाद है। (iii) मुख्य अभियंता, राँची द्वारा बताया गया कि कार्य बन्द है। मार्च 2014 तक कार्य पूर्ण करने का कार्यक्रम संवेदक द्वारा किया गया है।	(i) अभियंता प्रमुख–I, अपने स्तर से बैठक बुलाकर समीक्षा करेंगे और योजना के पूर्ण करने का Strategy एवं कार्यक्रम तय करेंगे। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०, राँची / अभियंता प्रमुख–I,)**

(20) कंसजोर जलाशय योजना का ERM कार्य (जिला – सिमडेगा , प्रखण्ड – सिमडेगा)

- प्रशासनिक स्वीकृति – रू0 110. लाख
- वर्ष 2012–13 तक कुल व्यय – रू0 59 लाख
- वर्ष 2013–14 में आवंटन (ERM) – रू0 25.00 लाख
- अगस्त 2013 तक व्यय – रू0 0.00 लाख
- सिंचाई क्षमता – 3913 हेक्टेयर (फेज– I)

मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि योजना से पूर्ण सिंचाई क्षमता में सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक मरम्मति कार्य का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। जांच में है। शीघ्र विभाग को समर्पित कर दिया जायेगा। (ii) सिंचाई लक्ष्य 250 हे0, उपलब्धि – 200 हे0	**निदेश** – योजना के पुनर्स्थापन कार्य का प्राक्कलन शीघ्र विभाग को समर्पित किया जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०, राँची)**

(24) शुरू जलाशय योजना (जिला – सरायकेला खरसाँवां , प्रखण्ड –सरायकेला खरसाँवा)

- प्रशासनिक स्वीकृति – रू0 9635.32 लाख (30.03.2011)
- वर्ष 2012–13 तक व्यय – रू0 2613.97 लाख
- वर्ष 2013–14 में आवंटन – शून्य
- सिंचाई क्षमता – हेक्टेयर

(i) योजना का अवशेष कार्य पूर्ण करने हेतु संवेदक को कार्य आवंटित कर दिया गया है। संवेदक द्वारा एकरारनामा कर लिया गया है पहले सर्वे का कार्य प्रारम्भ किया जाना है। परन्तु, प्रस्तावित निर्माण स्थल पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। (i) संवेदक द्वारा योजना कार्य का DPR Submit कर दिया गया है, जिसकी जांच CDO से करायी जा रही है।	**निदेश** – CDO से DPR की जांच शीघ्र कराकर विभाग को प्रतिवेदित किया जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०, राँची)**

(25) सोनुआ जलाशय योजना (जिला – प0 सिंहभूम , प्रखण्ड – सोनुआ)

- प्रशासनिक स्वीकृति – रू० 8265.00 लाख (23.03.2007)
- वर्ष 2012–13 तक व्यय – रू० 7488.247 लाख
- वर्ष 2013–14 में आवंटन – रू० 214.40 लाख
- वर्ष 2013–14 में व्यय – रू० 0.00 लाख
- सिंचाई क्षमता– खरीफ – 5400 हे०
  रब्बी – 2600 हे०

कार्य की प्रगति – (i) मुख्य नहरों का कार्य पूर्ण है। (ii) बाँयीं मुख्य नहर (LMC) के वितरणियों का भू–मुआवजा भुगतान हो रहा है। (iii) दाँयीं मुख्य नहर (RMC) के तीन वितरणियों का भू–अर्जन प्रक्रियाधीन है। (iv) मुख्य अभियंता द्वारा योजना का	**निदेश** – (i) मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि योजना की स्थिति काफी खराब है एवं इसमें कई समस्याएँ हैं। (ii) योजना को पूर्ण करने और पूर्व के सभी कार्यों को दुरूस्त करने हेतु Short term plan तय कर लक्ष्य प्राप्त किया जाय। (a) मुख्य नहरों के वितरणियों का प्राक्कलन स्वीकृत

निरीक्षण किया गया है। बाँयीं आउटलेट से लगभग 5 क्यूसेक एवं दाँयीं आउटलेट से 20–25 क्यूसेक का रिसाव हो रहा था। बाँयीं मुख्य नहर में पानी छोड़ने पर नहर टूट सकता है। नहर पूरे सेक्सन में नहीं है। बेड कहीं–की ऊँचा है। बाँयीं मुख्य नहर के 0 से 37 चेन तक नहर में पानी जगह–जगह Overtop कर रहा है। चेन 37 पर निर्मित एक्वाडक्ट ध्वस्त होने के कागार पर है। चेन 164 पर निर्मित एक्वाडक्ट बुरी तरह क्षतिग्रस्त है।	कर 30.09.2013 तक निविदा निकाली जाय। (b) बांयी मुख्य नहर (LMC) को Proper Section में लाने हेतु आवश्यक कार्य का प्राक्कलन तैयार कर उसकी निविदा 15 अक्टूबर 2013 तक निकाली जाय। (c) दांयी मुख्य नहर (RMC) को दुरूस्त करने हेतु 30 नवम्बर आवश्यक कार्यों की निविदा निकाली जाय। (d) 31 मई 2014 तक योजना कार्य को हर प्रकार से पूर्ण किया जाय। (iii) योजना के वनभूमि अपयोजन हेतु प्रस्ताव शीघ्र समर्पित करने हेतु समुचित कार्रवाई की जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०, राँची / मु०अ०, मोनिटरिंग)**

(26) नकटी जलाशय योजना (टर्न–की) (जिला – सिमडेगा , प्रखण्ड – चक्रधरपुर)

- प्रशासनिक स्वीकृति – रू0 3515.910 लाख (12.03.2003)
- वर्ष 2012–13 तक व्यय – रू0 3977.68 लाख
- वर्ष 2013–14 में आवंटन – रू0 10.00 लाख
- अगस्त 2013 तक व्यय – रू0 0.00 लाख
- सिंचाई क्षमता – 2250 हे0

कार्य की स्थिति –	**निदेश –**
(i) शीर्ष कार्य एवं मुख्य नहरों का कार्य पूर्ण है। (ii) योजना में एक ही मुख्य नहर है, जिसका कार्य पूर्ण है। 19 Minor है जिसमें 15 का निर्माण हो गया है। (iii) मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि OR –1 में 400 फीट के बाद तटबंध Settle कर गया है, जिसे संवेदक द्वारा वर्षात के बाद ठीक करा दिया जायेगा। (iv) कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि मुख्य नहर में Tail end तक पानी नहीं जाता है।	(i) अभियंता प्रमुख–I, योजना का निरीक्षण कर लें और देख लें कि इसके उद्घाटन के पूर्व कौन–कौन कार्य आवश्यक है तथा उसे पूरा कराने का निदेश दिया जाय। (v) अधीक्षण अभियंता, चाईबासा PWD Code में दिये गये शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहें हैं और अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहें है। इस संबंध में मुख्य अभियंता, रांची उनसे स्पष्टीकरण पूछें और योजना को पूर्ण कराने हेतु उन्हें निदेश दें। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०, राँची)**

(27)

राजस्व वसूली –	**निदेश** – (i) राजस्व वसूली की समीक्षा प्रत्येक माह की जाय। **(कार्रवाई : डॉ0 डी0के0 सिंह, अधीक्षण अभियंता, रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, राँची)**

28. सिंचाई की समीक्षा

(i). पूर्ण सिंचाई योजनाओं का आवश्यक मरम्मति कार्य हेतु सभी प्राक्कलन अभी तक विभाग को नही प्राप्त हुए है। (ii) भवन मरम्मति का नया प्रस्ताव विभाग को नहीं प्राप्त हुआ है।	**निदेश** – (i) पूर्ण सिंचाई योजनाओं के मरम्मति एवं पुनर्स्थापन कार्य हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय तथा वर्ष 2013–14 में बजट राशि का पूर्ण सदूपयोग करने का प्रयास किया जाय। (ii) **सूदकार एवं राजस्व वसूली** – प्राप्त करायी जा रही सिंचाई के विरूद्ध सूदकार की भी कार्रवाई की जाय। सूदकार के लिये नहर पेट्रोल/अमीन रखा जाय। 25 अक्टूबर के बाद सिंचाई का अंतिम प्रतिवेदन एवं 15 दिसम्बर तक सूदकार का अंतिम प्रतिवेदन सभी प्रमण्डलों द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जाय। (iii) सभी योजनाओं में आवश्यक गेट मरम्मति हेतु मुख्य अभियंता, यॉत्रिक, राँची शीघ्र कार्रवाई करेंगे। (iv) भवन पुनर्स्थापन कार्य हेतु राशि उपलब्ध कराया जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०, राँची/मु०अ०, मोनिटरिंग)**

29. UCAN – अधीक्षण अभियंता, verify करके Certificate देंगे कि जो प्रमण्डलवार जो Details upload हुआ है वह सही है, उसका Hard copy 10 अक्टूबर तक मुख्यालय को भेजेंगे। Contractors को भी अपना details up load करना है। तत्पश्चात् उनका UCAN Card सरकार द्वारा issue किया जायेगा है।

30. मुख्य अभियंता, अपने परिक्षेत्राधीन निरीक्षण वाहनों के क्रय हेतु विभाग को प्रस्ताव देगें। यह कार्रवाई अन्य सभी मुख्य अभियंता द्वारा भी की जायेगी। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, मो०, राँची)**

31. बैठक की कार्यसूची की कंडिका 8 से 14 का प्रतिवेदन मुख्य अभियंता, रांची द्वारा नहीं प्राप्त कराया गया है। वांछित सभी प्रतिवेदन संयुक्त सचिव (प्रबंधन) को दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दिया जाय।

(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०, राँची)

(बी0 सी0 निगम)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/PMC/कार्य–94/11...राँची, दिनांक :– ....

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, धुर्वा, राँची/मुख्य अभियंता यांत्रिक, जल संसाधन विभाग, राँची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/ संयुक्त सचिव (प्रबन्धन)/उप सचिव, मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गुमला/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, चाईबासा/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई यांत्रिक अंचल राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एंव मोनिटरिंग अंचल–1, 2 एवं 3 जल संसाधन विभाग राँची/अधीक्षण अभियंता, रूपांकण, आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, राँची/विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित। (email से)

ह॰/-

(अशोक कुमार)

मुख्य अभियंता(मो॰)

ज्ञापांक :– 2/PMC/कार्य–94/11...राँची, दिनांक :– ....

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/विशेष सचिव के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची/अभियंता प्रमुख–I, के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता(मो॰), जल संसाधन विभाग, राँची के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/-

(अशोक कुमार)

मुख्य अभियंता(मो॰)

ज्ञापांक :– 2/PMC/कार्य–94/11.......885.......राँची, दिनांक :– 7.10.2013

प्रतिलिपि :वेब मैनेजर, वेबसाईट, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर up load करने हेतु प्रेषित।

7/X.2013

(अशोक कुमार)

मुख्य अभियंता(मो॰)